



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार-249404

संख्या: 262 / 01 / डी०आर०(डिग्री) / सेवा-2 / 2021-22

दिनांक : 30 नवम्बर, 2023

विज्ञप्ति

ए०पी०आई० मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार संशोधित कट ऑफ सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर हिन्दी (HINDI) विषय के लिए दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा के क्रम में अनर्ह सूची, अभ्यर्थन निरस्त सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूचना से संबंधित सूची को आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 06 जुलाई, 2023 को प्रसारित किया गया तथा अनर्ह सूची एवं अधिमानी अर्हता सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को दिनांक 21 जुलाई, 2023 तक साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया, जिसके क्रम में मा० आयोग द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया गया है। उक्त के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष 2 गुने से कम होने के कारण मा० आयोग के निर्णय दिनांक 17 जून, 2022 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 के चतुर्थ संशोधन-2016 के नियम-05 में उल्लिखित प्राविधान के क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर हिन्दी (HINDI) विषय में अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष 2 गुने से कम होने पर केवल एक बार के लिए मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को संशोधित कटऑफ के आधार पर औपबन्धिक रूप से निम्न अनुक्रमांक के अनुसार शार्टलिस्ट किया जाता है:-

क्र०	श्रेणी	संशोधित कट-ऑफ	अनुक्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	सामान्य श्रेणी	92	500076	500126	500167
			500754	501059	501522
			501664	501899	501953
2.	EWS/UF	50	500411		

नोट:- 1—अनारक्षित श्रेणी (UR) के अन्तर्गत संशोधित कट-ऑफ 92 में 04 अभ्यर्थियों के सापेक्ष समान कट-ऑफ में 09 अभ्यर्थी प्राप्त हुए हैं।

2—अनुक्रमांक-501899 द्वारा संशोधित कट-ऑफ में स्थान धारित करने के कारण अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये हैं। अतः विज्ञप्ति के सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं किये जाने हैं।

उपरोक्तानुसार संशोधित शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों को साक्ष्यों सहित ऑनलाईन आवेदन में किये गये समस्त दावों हेतु आयोग कार्यालय, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में अभिलेख जमा करने के लिए नियमानुसार 15 दिन, दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 (शुक्रवार) सायं 6:00 बजे तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है, तदपश्चात अभ्यर्थियों के इस विषय में प्राप्त किसी भी प्रत्यावेदन/प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को इस संबंध में डाक के माध्यम से पृथक से सूचना प्रदान नहीं की जायेगी।

-Sd/
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।